<u>न्यायालयः-सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर</u> जिला –बालाघाट, (म.प्र.)

<u>आप.प्रक.कमांक—583 / 2014</u> <u>संस्थित दिनांक—25.06.2014</u> <u>फाईलिंग क.234503001502014</u>

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र मलाजखण्ड, जिला–बालाघाट (म.प्र.) – – – – – – <u>अभियोजन</u>

विरुद्ध

कोमलिसंह धुर्वे पिता पंचमिसंह धुर्वे, जाति—गोंड, उम्र—26 वर्ष, निवासी—ग्राम भीमजोरी, थाना मलाजखण्ड, जिला—बालाघाट (म.प्र.)

– – – – – आरोपी

// <u>निर्णय</u> // (आज दिनांक-16/11/2015 को घोषित)

- 1— आरोपी के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—279, 427 के अंतर्गत यह आरोप है कि उसने दिनांक—10.06.2014 को शाम 6:30 बजे थाना मलाजखण्ड अंतर्गत ग्राम मोहगांव रेहंगी में वाहन बोलेरो क्रमांक—सी.जी.—04/जे.एफ. 8696 को लोकमार्ग पर उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित कर उक्त वाहन उक्त वाहन से फरियादी गणेश कुमार के वाहन पैशन प्रो क्रमांक—एम.पी—50/एम.जी. 1855 को ठोस मारकर, घसीटते हुए नुकसान पहुंचाकर रिष्टी कारित की।
- 2— अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी ग्राम मोहगांव में रहता है और एम.पी.ई.बी. मोहगांव में लाईनमेन के पद पर पदस्थ है। दिनांक—10.06. 2014 को शाम को लाईन सुधारने ग्राम रेहंगी अपनी मोटरसाईकिल पैशन प्रो कमांक—एम.पी—50/एम.जी—1855 से गया था और रोड के किनारे तेजराम ठाकरे के घर के सामने खड़ी कर दिया था तथा लाईन सुधारने जा रहा था कि करीब 6:30 बजे शाम को बोलेरो कमांक—सी.जी—04/जे.एफ. 8696 का चालक परसाटोला की तरफ से तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए वाहन को लाया और उसकी गाड़ी को ठोस मारकर घसीटते ले गया और उसके बाद उसकी बोलेरो भी पलट गई थी, तब

उसने और आने—जाने वाले लोगों ने जाकर देखा तो ड्राईवर अंदर बोलेरों में था, जिसे निकाले थे, तब उसने अपना नाम कोमलिसंह धुर्वे निवासी ग्राम भीमजोरी को होना बताया था। एक्सीडेन्ट होने से फरियादी की पैशन प्रो कमांक—एम.पी—50/एम. जी—1855 क्षतिग्रस्त हो गई थीं। उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादी द्वारा थाना मलाजखण्ड में की गई जिस पर पुलिस द्वारा आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक—93/2014, धारा—279, 427 भा.दं.वि. के अन्तर्गत कायमी कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की। पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान घटनास्थल का मौका नक्शा तैयार किया, दुर्घटना कारित वाहन जप्त कर जप्ती पंचनामा तैयार किया गया, क्षतिग्रस्त मोटरसाईकिल का नुकसानी पंचनामा तैयार किया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किया गए तथा आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस द्वारा अनुसंधान कार्यवाही पूर्ण कर आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया गया।

3— आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—279, 427 के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपी ने धारा—313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण में स्वयं को निर्दोष होना व झूठा फॅसाया जाना प्रकट किया है। आरोपी द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं किया गया है।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है :-

- 1. क्या आरोपी ने दिनांक—10.06.2014 को शाम 6:30 बजे थाना मलाजखण्ड अंतर्गत ग्राम मोहगांव रेहंगी में वाहन बोलेरो क्रमांक—सी.जी. 04/जे.एफ. 8696 को लोकमार्ग पर उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?
- 2. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन उक्त वाहन से फरियादी गणेश कुमार के वाहन पैशन प्रो क्रमांक—एम. पी—50 / एम.जी. 1855 को ठोस मारकर, घसीटते हुए नुकसान पहुंचाकर रिष्टी कारित की ?

विचारणीय बिन्दुओं का सकारण निष्कर्ष :-

5— गणेश कुमार पंचेश्वर (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी कोमल सिंह को घटना समय से जानता है। घटना दिनांक—10.06.14 के शाम के लगभग 6:00 बजे ग्राम रेहंगी की है। घटना दिनांक को वह मोटरसाइकिल से विद्युत लाईन सुधारने के लिए ग्राम रेहंगी गया था। घटना दिनांक को वह तेजराम ठाकरे के घर के सामने रोड के साईड में मोटरसाईकिल खड़ी कर लाईन सुधारने जा रहा था, तभी ग्राम भंडेरी के तरफ से एक बुलेरो वाहन के चालक ने वाहन को तेज गति से लाया और उसकी गाड़ी को ठोस मारकर डेमेज कर दिया था। उक्त टक्कर मारने के बाद बुलेरो वाहन पलट गया था और ड्राईवर उक्त बुलेरो वाहन के अंदर ही था, उसको गांव के लोगों ने निकाला। फिर उसने उक्त बुलेरो वाहन के चालक को देखा, जो आरोपी कोमल सिंह धुर्वे था। उक्त बुलेरो वाहन की टक्कर से उसकी मोटरसाईकिल में लगभग 20,000 / - रूपये की क्षति हो गई थी। घटना की रिपोर्ट उसने थाना मलाजखण्ड में की थी, जो प्रदर्श पी-1 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दुर्घटना आरोपी की गलती से घटित हुई थी, क्योंकि मोटरसाईकिल जिसे आरोपी के द्वारा टक्कर मारा गया था, रोड़ के साईड में खड़ी थी। पुलिस ने उसके समक्ष उक्त घटनास्थल का नजरीनक्शा प्रदर्श पी-2 बनाया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। उक्त क्षतिग्रस्त मोटरसाईकिल पुलिस ने उसे प्रदर्श पी-3 के हिफाजतनामे के आधार पर दी थी, क्योंकि मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त हालत में थी। प्रदर्श पी-3 पर उसके हस्ताक्षर हैं।

- 6— उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि घटना के समय वह मोटरसाईकिल के पास नहीं था तथा वह घटना की आवाज सुनकर घटनास्थल पर पहुंचा था। साक्षी का स्वतः कथन है कि वाहन पलटने के बाद उसने आरोपी को देखा था। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि घटना के समय आरोपी वाहन नहीं चला रहा था। इस प्रकार साक्षी ने अपनी साक्ष्य में इस तथ्य की पुष्टि की है कि घटना के समय आरोपी ही दुर्घटना कारित वाहन बुलेरों को चला रहा था।
- 7— किशोर कुमार (अ.सा.2) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह न्यायालय में उपस्थित आरोपी कोमल सिंह को पहचानता है। घटना आज से लगभग 8 माह पूर्व शाम के लगभग 6:00—6:30 बजे की है। घटना दिनांक को गणेश पंचेश्वर ने उसे फोन पर एक्सीडेन्ट की बात बताई थी। उक्त सूचना पर वह गन्नाराम के साथ घटनास्थल पर गया था। घटनास्थल पर उसने बुलेरो वाहन को पलटी हुई स्थिति में देखा था तथा मोटरसईकिल को क्षतिग्रस्त हालत में देखा था। पूछने पर उसे पता चला कि आरोपी कोमलसिंह की लापरवाही से खड़ी मोटरसाइकिल को ठोस मारी गई

थी। पुलिस ने पूछताछ कर उसके कथन लिये थे। उसके समक्ष पुलिस ने घटनास्थल से दूसरे दिन मोटरसाइकिल और बुलेरो वाहन जप्त कर जप्तीपत्रक प्रदर्श पी—4 एवं 5 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके समक्ष दुर्घटना में बुलेरो वाहन को हुई क्षिति एवं मोटरसाइकिल को हुई क्षिति के संबंध में नुकसानी पंचनामा प्रदर्श पी—6 एवं 7 बनाया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि उसने दुर्घटना होते हुए नहीं देखी थी, इसलिए नहीं बता सकता कि बुलेरो वाहन कौन चला रहा था। इस प्रकार साक्षी ने अपनी साक्ष्य में दुर्घटना के पश्चात् मौके पर पहुंचकर देखा गया वृत्तांत पेश किया है। यद्यपि इस साक्षी के कथन से इस तथ्य की पुष्टि नहीं होती कि आरोपी ही दुर्घटना कारित वाहन बुलेरो का चालन कर रहा था।

- 8— संतकुमार उइके (अ.सा.4) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक—13.06.2014 को थाना मलाजखण्ड में आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसके द्वारा बुलेरो क्रमांक—सी.जी—04/जे.एफ—8696 का मैकेनिकल मुलाहिजा किया गया था। परीक्षण करने पर उसने उक्त बुलेरो वाहन उपर से पिचक गई थी, जो चलने योग्य नहीं थी, परीक्षण कर प्रदर्श पी—9 की रिपोर्ट दिया था। उक्त वाहन का परीक्षण उसके द्वारा थाना मलाजखण्ड के प्रांगण में ही किया गया था। उक्त साक्षी ने दुर्घटना कारित वाहन बुलेरो क्रमांक—सी.जी—04/जे.एफ—8696 का मैकेनिकल परीक्षण करने के संबंध में समर्थनकारी साक्ष्य पेश की है।
- 9— सुरेश विजयवार (अ.सा.3) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक—10.06.2014 को थाना मलाजखण्ड में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को गणेश कुमार की मौखिक रिपोर्ट पर बुलेरो कमांक—सी. जी—04/जे.एफ—8696 का चालक कोमलिसेंह धुर्व के विरुद्ध में प्रथम सूचना प्रतिवेदन कमांक—93/14, धारा—279, 427 भा.द.वि. के तहत लेख किया था, जो प्रदर्श पी—1 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक—11.06.2014 को उक्त अपराध कमांक की डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर घटनास्थल पर जाकर गणेश की निशानदेही पर घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी—2 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही घटनास्थल से साक्षियों के समक्ष एक क्षतिग्रस्त मोटरसाईकिल कमांक—एम.पी—50/एम.जी—1855 जप्तीपत्रक प्रदर्श पी—4 अनुसार जप्त किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही घटनास्थल से साक्षियों के समक्ष

जप्तीपत्रक प्रदर्श पी—5 अनुसार एक बुलेरो वाहन कमांक—सी.जी—04 / जे.एफ.—8696 क्षितिग्रस्त हालत में जप्त किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को दोनों जप्तशुदा वाहनों में हुई नुकसानी बाबत् साक्षियों के समक्ष नुकसानी पंचनामा प्रदर्श पी—6 एवं 7 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त बुलेरो वाहन में नुकसान लगभग 1,00000/—(एक लाख) रूपये तथा मोटरसाईकिल में लगभग 40,000/—(चालीस हजार) रूपये की नुकसानी हुई थी। उक्त दिनांक को ही गनाराम, प्रार्थी गणेश कुमार, साक्षी किशोर कुमार के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किया थे। दिनांक—11.06.2014 को आरोपी कोमलिसंह को साक्षियों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी—8 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। जप्तशुदा मोटरसाईकिल प्रार्थी को प्रदर्श पी—9 के माध्यम से हिफाजतनामा पर दिया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। जप्तशुदा चलान के साथ संलग्न किया था।

- 10— उक्त साक्षी के प्रतिपरीक्षण में उसके कथन का बचाव पक्ष की ओर से महत्वपूर्ण खण्डन नहीं किया गया है। इस प्रकार साक्षी ने मामलें में की गई संपूर्ण अनुसंधान कार्यवाही को समर्थनकारी साक्ष्य के रूप में प्रमाणित किया है।
- 11— प्रकरण में अभियोजन की ओर से जिन साक्षीगण को पेश किया गया है, उन्होंने स्वयं दुर्घटना घटित होते हुए नहीं देखी, बल्कि दुर्घटना के पश्चात् का वृत्तांत अपनी साक्ष्य में पेश किया है। गणेश (अ.सा.1) ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि वह घटना की आवाज सुनकर घटनास्थल पर पहुंचा था और गाड़ी कौन चला रहा था, उसने नहीं देखा था। यद्यपि साक्षी का यह भी कथन है कि उसने वाहन पलटने के बाद आरोपी को गाड़ी के अंदर से निकलते हुए देखा था। उक्त कथन से तर्क के लिए यह मान भी लिया जाए कि आरोपी ही उक्त वाहन को चला रहा था, तब भी साक्षी के कथन से यह तथ्य साबित नहीं होता कि आरोपी के द्वारा वाहन को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाया जा रहा था। वास्तव में उक्त साक्षी के दुर्घटना के पश्चात् पहुंचने के कारण वाहन के चालक के रूप में आरोपी के द्वारा वाहन बुलेरो को किस प्रकार चलाया जा रहा था, इस बारे में बताया जाना विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार उक्त दुर्घटना होते हुए किसी भी साक्षी के द्वारा देखे न जाने से इस तथ्य के संबंध में विश्वसनीय साक्ष्य पेश नहीं हुई है कि आरोपी के द्वारा उक्त दुर्घटना कारित वाहन को कथित उतावलेपन या उपेक्षा से चलाया जा रहा था।

12— प्रकरण में प्रस्तुत संपूर्ण साक्ष्य की विवचेना उपरान्त यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन ने युक्तियुक्त संदेह से परे यह तथ्य प्रमाणित नहीं किया कि उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान में आरोपी के द्वारा बुलेरो वाहन को उतावलेपन या उपेक्षा से वाहन चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया गया या फरियादी की मोटरसाईकल को नुकसान पहुंचाकर रिष्टी कारित की। फलस्वरूप आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा–279, 427 के अपराध के अंतर्गत दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

13— आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

14— प्रकरण में जप्तशुदा बुलेरो वाहन कमांक—सी.जी—04/जे.एफ.—8696 मय दस्तावेज के रिजस्टर्ड स्वामी हीनाजी खाण्डेकर पिता शेखा राम खाण्डेकर, निवासी ग्राम रेहंगी, थाना मलाजखण्ड, जिला बालाघाट को सुपुर्दनामे पर दिया गया है। अतएव अपील अविध पश्चात उक्त सुपुर्दनामा उसके पक्ष में निरस्त समझा जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावें।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला—बालाघाट

(सिराज अली) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला–बालाघाट